कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क

बनाम

कलकत्ता इस्पात उद्योग और अन्य

अक्टूबर 27, 1988

[सब्यसाची मुखर्जी और एस. रंगनाथन, न्यायाधीशगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944- केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ मद 26 एए (i ए) और 26 एए (ii)- हूप और स्ट्रिप क्या शुल्क के लिए आंकलन योग्य है।

प्रत्यर्थी कंपनी ने संशोधित वर्गीकरण सूचियाँ दायर कीं, जिसमें उनके द्वारा निर्मित 3.0 मिमी से कम मोटाई के सभी आयताकार उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के टैरिफ मद 26 एए (i ए) के अंतर्गत शामिल किए गए बार के रूप में वर्गीकृत किया गया। सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने यह विचार किया कि 3.0 मिमी से कम मोटाई और 75 मिमी से कम चौड़ाई वाले आयताकार उत्पाद टैरिफ मद 26 एए(ii) के तहत 'हूप्स' की परिभाषा और योग्यता वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं और उचित शुल्क के योग्य हैं। प्रत्यर्थी ने कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के समक्ष अपील की, जिन्होंने माना कि उत्पाद 'हूप्स' की परिभाषा के अंतर्गत आता है और सहायक कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखा।

प्रत्यर्थी ने प्राधिकारी से अपील की, जिसने माना कि 3.0 मिमी से कम मोटाई और 75 मिमी से कम चौड़ाई वाले चपटे उत्पाद को प्रत्यर्थी कंपनी के दावे के अनुसार 'बार' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न कि 'हूप्स' के रूप में और अपील की अनुमति दी गई।

इसिलए विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 एल(बी) के तहत अपील दायर की।

अपीलों को खारिज करते ह्ए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

यदि राजस्व इस तरह की किसी विशेष वस्तु पर कर लगाना चाहता है तो इसका उत्तरदायित्व राजस्व पर है। [600 एफ]

'हूप' या तो कई चौड़ाई में लपेटी गई कुंडलित पट्टी को काटकर बनाया जाता है, वांछित चौड़ाई की संकीर्ण कुंडलित पट्टी में, या हॉट-रोल्ड या मिल ऐज के साथ संकीर्ण कुंडलित पट्टी से और उत्पादित 'हूप' का प्रकार और चौड़ाई उपयोग की जाने वाली विधि की पसंद को प्रभावित करती है। [599 बी]

घुमावदार 'हूप' पिंच-रोल और घुमावदार गाइड-शू व्यवस्था द्वारा बनाया जाता है जो 'हूप' को गोलाकार रूप देता है। केवल घुमावदार गाइड-शू को हटाकर एक सीधी लंबाई का 'हूप' तैयार किया जाता है। [599 डी]

सीधी लंबाई छोटी लंबाई नहीं है, लंबी है। [599ई]

सच्चाई यह है कि उनका उत्पादन एक मिल में किया गया था जो हूप्स और स्ट्रिप्स का उत्पादन कर सकता था। उनकी लंबाई ऐसी नहीं है कि उन्हें हूप्स के समान वर्ग में रखा जा सके। इसलिए, इस बात को और संबंधित टैरिफ मद को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मद 2 एए(ii) की तुलना में मद 26 एए(i ए) के तहत उनका मूल्यांकन करना अधिक उपयुक्त होगा। [599 जी-एच; 600 ए]

साउथ बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1968] 3 एस.सी.आर. 21, संदर्भित।

धारा 35 एल(बी) के तहत एक अपील में इस न्यायालय को निर्णय का औचित्य और शुद्धता देखनी होगी। कानून में कोई गलत निर्देश नहीं था और न ही तथ्यों पर विमर्श मे कोई अनदेखी। वैध उचित सामग्रियों पर विचार करने से कोई छूट नहीं है। [600 एफ-जी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1671-87/1987

बीआई 1987 के आदेश संख्या 267/283 में अपील संख्या 1546, 1547 आदि में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 22.4.1987 से

अपीलार्थियों की ओर से- एम.के. बनर्जी, सॉलिसिटर जनरल, आर.पी. श्रीवास्तव और पी. परमेश्वरन

प्रत्यर्थियों की ओर से- सोली जे. सोराबजी, के.के. पटेल, राजीव दत्ता और आर.एस. सोढ़ी

न्यायालय का फैसला न्यायाधीश सब्यसाची मुखर्जी द्वारा सुनाया गया।

यह अपीले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद इसे 'सीईजीएटी' कहा जाएगा) की धारा 35 एल (बी) के तहत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद 'सीईजीएटी' के रूप में संदर्भित) के फैसले के खिलाफ पेश की गई हैं। प्रतिवादी कलकता स्टील इंडस्ट्रीज ने संशोधित वर्गीकरण की सूची पेश की। जिन सूचियों में उन्होंने अपने द्वारा

निर्मित 3 मिमी से कम मोटाई के सभी आयताकार उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के टैरिफ आइटम 26 एए (आई. ए.) द्वारा कवर किए गए बार के रूप में वर्गीकृत किया था। सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अस्थायी विचार था कि 3 मिलीमीटर से कम मोटी और 75 मिलीमीटर से कम चौड़ाई वाले आयताकार उत्पाद शुल्क वस्त् 26 एए की वस्तु (ii) के तहत हूप्स और योग्यता वर्गीकरण की परिभाषा के अनुरूप हैं, जो प्रति मीट्रिक टन 450 रूपये श्ल्क की प्रभावी दर को आकर्षित करते हैं। अधिसूचना संख्या 55/80 दिनांक 13 मई, 1980 के तहत दी गई कटौती को कम करके। इसलिए, उत्तरदाताओं से कारण दिखाने के लिए कहा गया कि वर्गीकरण सूची में संशोधन क्यों नहीं किया जाना चाहिए और तदन्सार श्ल्क क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने अपना लिखित बयान प्रस्त्त किया और व्यक्तिगत स्नवाई का अन्रोध किया। यह मामला सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद श्ल्क के समक्ष निर्णय के लिए आया। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मिलों का प्रकार अप्रासंगिक था। उन्होंने इस्पात मंत्रालय और भारतीय मानक संस्थान के परामर्श से विकसित "हूप्स" की परिभाषा पर भरोसा किया। संशोधित परिभाषा इस प्रकार थीः

"तैयार उत्पाद, आम तौर पर नियंत्रित समोच्च के किनारों के साथ क्रॉस-सेक्शन का होता है और इसकी मोटाई 3 मिमी और चौड़ाई 400 मिमी और उससे नीचे होती है और सीधे लेंथ में आपूर्ति की जाती है। उत्पाद के केवल घुमावदार किनारे (वर्गाकार या थोड़े गोल) होने चाहिए। इस समूह में फ्लैट बार भी शामिल हैं। व बल्ब जिसमें 400 मिमी से कम चौड़ाई के तहत एक ही किनारे के एक या दो चरणों में मोटाई होती है।"

सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने कुछ चर्चाओं के आधार पर अपने आदेश में यह विचार व्यक्त किया कि 3 मिलीमीटर से कम मोटाई और 75 मिलीमीटर से कम चौड़ाई वाले आयताकार उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के टैरिफ आइटम 26 एए की उप-वस्तु (ii) के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था और तदनुसार के लिए उपयुक्त था।संशोधित वर्गिकरण की सूची को सुधारा गया एवं स्वीकृत किया गया। उत्तरदाताओं ने केंदरिये उत्पाद कलेक्टर के यहाँ अपील करना पसंद किया। राल् एक्साइज (अपील)। कलेक्टर ने भारतीय मानक पर विचार किया। 1956-62 (2 दूसरा पुनर्मुद्रण मई 1975) जिसमें "हूप्स" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"5.54 हूप (बेलिंग, हूप आयरन)-एक गर्म गोलाकार फ्लैट प्रो डक्ट, जिसकी मोटाई 3 मिमी से कम और चौड़ाई 75 मिमी से कम होती है।"

उन्होंने माना कि विनिर्देशों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद क्रमिक रूप से उपरोक्त परिभाषा के भीतर आता है, विशेष रूप से जब शुल्क वस्तुओं के विवरण में "हूप्स, सभी प्रकार" शामिल थे। अपील के कलेक्टर ने ब्रुसेल्स टैरिफ नामकरण में "हूप और स्ट्रिप्स" की परिभाषा पर भी विचार किया, जिसमें इनका वर्णन इस प्रकार किया गया है:

" हूप और स्ट्रिप (शीर्षक संख्या. 73.12)

कतरित या बिना कतरित किनारों के साथ गोलाकार उत्पाद आयताकार खंड, जिसकी मोटाई 6 मिली [1988] से अधिक है।

मीटर, चौड़ाई 500 मिलीमीटर से अधिक नहीं और ऐसी आयाम कि मोटाई एक-दसवें से अधिक चौड़ी नहीं हो। चौड़ाई, सीधी पट्टियों, कुंहलियों

या चपटी क्ंहलियों में। तदन्सार उनका मानना था कि इस परिभाषा से पता चलता है कि चाराधीन उत्पाद कतरित या बिना कतरित हो सकता है और प्रो नलिकाएँ सीधी लंबाई या कुंडलियों में हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मिल की प्रकृति या प्रकार अपने आप में इसका निर्धारण कारक नहीं हो सकता है विवादित मुददा जिसे विचारणीय बिन्दुओं को दृष्टिगत करने व सभी को ध्यान मे रखते हुए निर्धारित किया जाना है प्रासंगिक विचार, अर्थात। वाक्यांश विज्ञान और इसका दायरा श्लक प्रविष्टि, व्यापार अभ्यास शब्दावली, अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साहित्य। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय उत्पाद श्लक के अपीलीय कलेक्टर ने ऊपर बताए गए कारणों के साथ-साथ सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद श्ल्क के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया, जिसे तदन्सार बरकरार रखा गया था। प्रत्यर्थियों ने न्यायाधिकरण में अपील प्रस्तुत की। न्यायाधिकरण ने अपीलों को अनुमति दी और अभिनिर्धारित किया कि 3 मिमी से कम मोटाई और 75 मिमी से कम चौड़ाई का सपाट उत्पाद छड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा दावा किया गया है और सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा रखे गए ह्प्स के रूप में नहीं। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपीलीय कलेक्टर द्वारा बरकरार रखा गया है। अपीलों को अन्मति देने में, न्यायाधिकरण यू. एस. स्टील पब्लिकेशंस (स्टील को आकार देने और उपचार करने) का उल्लेख करता है जिसमें यह निम्नान्सार कहा गया हैः

"माल को बार मिल में घुमाया गया है और नहीं किया गया है और उस प्रक्रिया को प्राम्भ नहीं किया गया है जो प्रक्रम के हूप के उत्पादन के लिए आवश्यक है या बेलिंग या पैकेजिंग जिसके लिए एक घेरा होता है के लिए नहीं थे।"

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में मामले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि कलेक्टर ने कहा था और विभिन्न श्रेणियां क्या हैं। हेराल्ड ई. एमसी. गेनन द्वारा संपादित यू. एस. स्टील पब्लिकेशन (द मेकिंग, शेपिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ स्टील्स) 9 वां संस्करण जिसे न्यायाधिकरण ने इस्पात पर एक महत्वपूर्ण रूप में वर्णित किया है और हम मानते हैं कि वह है, पृष्ठ 808 पर "नैरो फ्लैट-रोल्ड प्रोडक्ट्स" शीर्षक के तहत कुछ टिप्पणियां हैं जो प्रासंगिक हैं। वहाँ "हूप्स" का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"हूप-इस प्रकार के चार सामान्य वर्गीकरण हैं।

उत्पादों के बारे में:

- 1. सख्त तांबे का हूप का बैरल जो तरल पदार्थ रखने के काम आता है।
- 2. सूखे उत्पादों को रखने के लिए बैरल के लिए घेरा।
- 3. तम्बाक् बैरल हॉग्सहेड हूप, और
- 4. विशेष पैकेज के लिए विशेष हूप।"

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि "हूप" या तो कई चौड़ाई में लुढ़की गई कुंडिलित पट्टी को काटकर, संकीर्ण कुंडिलित पट्टी में बनाया जाता है। वांछित चौड़ाई, या एक गैर-लुढ़का हुआ या मिल किनारे के साथ संकीर्ण कुंडिलित पट्टी से और उत्पादित किए जा रहे घेरा का प्रकार और चौड़ाई उपयोग की जाने वाली विधि के चयन को प्रभावित करती है। यह आगे प्रतीत होता है कि विचाराधीन उत्पादों की विधि हुप्स के लिए इस आधिकारिक कार्य में सूचीबद्ध विधियों में से एक नहीं है। तथाकथित हुप्स का उत्पादन कुंडिलित पट्टी को काटकर नहीं किया जाता था और न ही संकीर्ण कुंडिलित

पट्टी से गर्म लुढ़का हुआ या मिल के किनारे के साथ लुढ़का जाता था। लेख में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कहा गया है कि 'हूप' को 'घुमावदार हूप' या 'सीधी लंबाई' के रूप में बनाया जाता है। घुमावदार घेरा एक चुटकी रोल और घुमावदार गाइड-जूता व्यवस्था द्वारा बनाया जाता है जो घेरा को गोलाकार रूप लेने की अनुमित देता है। केवल घुमावदार गाइड जूते को हटाकर एक सीधी लंबाई का घेरा बनाया जाता है।

न्यायाधिकरण इस बात से अवगत था कि विचाराधीन सामान न तो घुमावदार होते हैं और न ही सीधी लंबाई के होते हैं। उन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक था कि इस पुस्तक में उपयोग की गई "सीधी लंबाई" विभाग द्वारा समझी गई सीधी लंबाई नहीं है जो यह सोचता है कि कोई भी छोटी सीधी लंबाई सीधी लंबाई है। इन उत्पादों के लिए शब्द द्वारा चिहिनत। यह उस तरह का कुछ भी नहीं है जैसा कि अधिकारिता से उद्धृत उपरोक्त अंश से देखा जा सकता है। सीधी लंबाई छोटी नहीं होती, यह लंबी होती है। सामान के उत्पादन का साधन आम तौर पर लिखे जाने वाले साधनों से पूरी तरह से अलग है। न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि विभाग से सहमत होना संभव नहीं है कि माल के उत्पादन के तरीके को ध्यान में रखा जा सकता है।

यह भी ध्यान में रखना होगा कि निर्मित उत्पाद की प्रकृति तय करने के लिए मिल की प्रकृति एक मानदंड थी। इसके अलावा, विवाद का मुद्दा मिल की प्रकृति और प्रकार के आधार पर निर्णायक नहीं हो सकता है। ने यह भी ध्यान में रखा कि ये एक मिल में उत्पादित किए जाते हैं जो हुप या स्ट्रिप्स का उत्पादन नहीं कर सकती हैं। न्यायाधिकरण ने यह तथ्य पाया कि उन्हें एक मिल में उत्पादित किया गया था जो हुप्स और स्ट्रिप्स का उत्पादन कर सकती थी। उनकी लंबाई ऐसी नहीं है कि उन्हें हुप्स के समान वर्ग में रखा जाए। इसलिए, इस और प्रासंगिक शुल्क मद को ध्यान में रखते

ह्ए, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह अधिक उपयुक्त होगा कि उत्पादिक को 26 एए(i ए) मे रखा जाये ना कि 26 एए(ii ए) के तहत। मद 26 एए (ii) की त्लना में मद 26 एए (आई. ए.) के तहत उनका आकलन करें। न्यायाधिकरण ने सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया है। तथ्यों पर कोई गलत दिशा-निर्देश नहीं था। न्यायाधिकरण के समक्ष प्रश्न के निर्धारण के लिए प्रासंगिक सभी उचित और प्रासंगिक सामग्री को लागू किया गया है। दक्षिण बिहार श्गर मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य [1968] 3 एससीआर 21. वहाँ, यह न्यायालय मद 14 ए और अपीलकर्ताओं द्वारा कोक के साथ चूने के पत्थर को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैसों के मिश्रण के निर्माण पर विचार कर रहा था, जिसमें मिश्रण से केवल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग गन्ने के रस को परिष्कृत करने और सॉल्वे द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन के लिए किया गया था। अमोनिया सोडा प्रक्रिया-चाहे गैसों का मिश्रण भट्टी गैस हो या संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड, अधिनियम की अन्सूची । में मद 14-एच द्वारा कवर किया गया है। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पन्न गैस भट्टी गैस थी न कि कार्बन जैसा कि व्यापार करने वालों को पता था, अर्थात उन लोगों के लिए जो इसमें सौदा करते हैं या जो इसका उपयोग करते हैं। इसलिए विचाराधीन भट्ठा गैस न तो कार्बन डाइऑक्साइड है और न ही संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे वाणिज्यिक सम्दाय के लिए जाना जाता है और इसलिए पहली अन्सूची में मद 14-एच को आकर्षित नहीं कर सकता है। यह माना गया कि यह कहना गलत था क्योंकि चीनी निर्माता कार्बन चाहता है

कार्बनीकरण उद्देश्यों के लिए डाइऑक्साइड और इसके लिए एक भट्ठा स्थापित करता है कि वह यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है न कि भट्टी गैस का। वास्तव में वह जो उत्पादन करता है वह एक मिश्रण है जिसे व्यापार और विज्ञान दोनों के लिए भट्टे गैस के रूप में जाना जाता है, जिसमें से एक निरंतर ट्यूएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन मामलों में उत्पन्न होने वाली भट्टी गैस को न तो कभी तरल किया जाता है और न ही ठोस किया जाता है और इसलिए न तो तरल किया जाता है और न ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह मानते हुए कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जा सकता है। इसे संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहा जा सकता है जैसा कि संपीड़ित कार्बन डाइऑक्साइड में काम करने वालों के बीच बाजार में समझा जाता है। यदि राजस्व किसी विशेष वस्तु पर कर लगाना चाहता है जिसे इस रूप में जाना जाता है तो इसकी जिम्मेदारी राजस्व पर है। कि वे असफल रहे हैं। न्यायाधिकरण ने सभी पहलुओं का विश्लेषण किया है। अपील में, हमें न्यायनिर्णयन के औचित्य और शुद्धता को देखना होगा। होने के नाते सभी कोणों से पहलुओं की जांच करने पर हम पाते हैं कि कानून में कोई गलत संकल्प नहीं था और ऐसा नहीं है कि तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया था। वैध और उचित सामग्री पर विचार करने से कोई बहिष्कार नहीं है। हमने वि-बूनल के अंतिम निष्कर्ष की भी जांच की है। यह निष्कर्ष हमें आकर्षित करता है। यह अप्रतिरोध्य रूप से अनुसरण करता है जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया है। अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एसकेए।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।